

भारतीय मानक ब्यूरो

(स्थापना विभाग)

मानक भवन
9, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

हमारा संदर्भ: स्था-1/1/06:01/01(02)/2019

दिनांक : 28 अगस्त 2019

कार्यालय जापन

निम्नलिखित कर्मचारियों को वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7 (पीबी-2/ग्रेड पे रु.4600) में लाईब्रेरियन पद में पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है :

The following employees have been selected for promotion to the post of Librarian in the Level-7 in the Pay Matrix [PB-2/Rs.4600 (GP)] :

क्रम संख्या SI No.	कर्मचारी संख्या Emp No.	नाम तथा पद Name & Designation	वर्तमान तैनाती का स्थान Present place of posting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	050628	श्रीमति उर्मिला कैन्थ Smt. Urmila Kainth	मुख्यालय-एल.एस.सी. HQ-LSC
2.	059110	श्रीमति नीलम Smt. Neelam	मुख्यालय-एल.एस.सी. HQ-LSC

2. उनकी पदोन्नति उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर लाईब्रेरियन पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी। अतः वे पदोन्नति पर अपनी पदभार ग्रहण रिपोर्ट तुरंत अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को ईमेल estt@bis.gov.in द्वारा भेजें।

2. Their promotion will take effect from the date they assume the duties of the post of Librarian at their present place of posting, as mentioned in Column 4 of para 1 above. Therefore, they should send their duty assumption report on promotion immediately to the undersigned by email at estt@bis.gov.in, through their Departmental Head.

3. चूंकि वे MACPS के अंतर्गत IInd वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अंतर्गत वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए, वे नियमानुसार, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के पात्र नहीं हैं।

3. Since, they have got the benefit of pay fixation under the grant of IIIrd Financial Up-gradation under MACP Scheme in the Level-7 [PB-2/Grade Pay of Rs 4600], therefore, they are not entitled for pay fixation consequent upon promotion, as per rules.

4. वे दो वर्ष की अवधि तक परीक्षा पर होंगे, जिसको ब्यूरो के नियमों व विनियमों के अंतर्गत स्वीकृत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि के दौरान, वे बिना की कारण या बिना किसी सूचना के निचले पद, जहां से वे पदोन्नत हुए, पर प्रत्यावर्तित करने के लिए बाध्य होंगे।

4. They shall be on probation for a period of two years, which may be extended by the Appointing Authority as permitted under the Rules and Regulations of the Bureau. During the period of probation, they will be liable to be reverted to the lower post from where promoted without any notice or any reason being assigned.

5. उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।

5. They will be required to serve anywhere in India.

6. सेवा की अन्य नियम व शर्तों के संबंध में वे समय-समय पर लागू ब्यूरो के नियमों व विनियमों द्वारा शासित होंगे।

6. As regards other terms and conditions of service they will be governed by the Rules and Regulations of the Bureau in force from time to time.

हस्ता/-

(एन रवि शंकर)

निदेशक (स्थापना)

प्रतिलिपि :

- (i) पैरा 1 में दिये गए कर्मचारियों को उनके विभागीय प्रमुख द्वारा
(ii) उपमहानिदेशक (प्रशा) (सतर्कता सचिवालय) (iii) निदेशक (लेखा) (iv) निदेशक (वित्त)
(v) संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फ़ाइल (vi) संबन्धित कर्मचारी की छुट्टी फ़ाइल
(vii) स्था-V (कम्प्यूटर अद्यतन तथा GIS हेतु) (viii) मुख्यालय-आईटीएस (BIS इंटरनेट पर परिचालन हेतु)

शिवशंकर
निदेशक (स्थापना)